रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12012026-269259
CG-DL-E-12012026-269259

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 13]	**नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 8, 2026/पौष 18, 1947**
No. 13]	**NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 8, 2026/PAUSHA 18, 1947**

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

(कृषि एवं किसान कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 जनवरी, 2026

सा.का.नि. 13(अ).- राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग, फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान, तकनीकी, समूह 'ग' पदों भर्ती नियम, 2017 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थानों में समूह 'ग' तकनीकी पदों पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान, तकनीकी, समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2026 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **लागू होना.-** ये नियम इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।

3. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.-** उक्त पदों की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि-** उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी, जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. **निरर्हता:** वह व्यक्ति, -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है; उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. **शिथिल करने की शक्ति -** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को, किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के बावत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. **व्यावृत्ति-** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. तकनीकी सहायक	19* (2026) कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	स्तर - 5 (29200-92300 रु.)	चयन

सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा
(6)
18 से 27 वर्ष के बीच। (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष की आयु तक शिथिल की जा सकती है।) **टिप्पण 1:** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिलों और चम्बा जिले के पांगी उप-खंड, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह या लद्दाख या लक्षद्वीप के संघ शासित प्रदेशों के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)।

टिप्पण 2: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख कर्मचारी चयन आयोग द्वारा निर्धारित होगी। (जहां भर्ती कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नहीं की जाती है, वहां आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख आवेदनों की प्राप्ति की अंतिम तारीख होगी)।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।
(7)
1. (i) मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से कृषि इंजीनियरिंग में डिप्लोमा के साथ सुसंगत क्षेत्र में पांच वर्ष का अनुभव; या (ii) मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से कृषि इंजीनियरिंग **में स्नातक की डिग्री**; और 2. कौशल दक्षता परीक्षा में अर्हता प्राप्त करना (यह परीक्षा केवल अर्हक प्रकृति की होगी और इसमें प्राप्त अंकों के आधार पर मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। साक्षात्कार के स्थान पर यह परीक्षा आयोजित की जाएगी)। **टिप्पण 1:** अर्हताएं अन्यथा सुअर्हिता अभ्यर्थियों की दशा में, कारणों के लिए जो **लेखबद्ध** किए जाएँ कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार, शिथिल की जा सकती हैं। **टिप्पण 2:** अनुभव से संबंधित अर्हता (एं) कारणों के लिए जो **लेखबद्ध** किए जाएँ कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार, अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा मे तब शिथिल की जा सकती हैं जब, चयन के किसी क्रम पर, कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी की राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

क्या सीधी भर्ती के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत की दशा में लागू होंगी।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशतता।
(8)	(9)	(10)
नहीं	सीधी भर्ती के लिए दो वर्ष।	(i) 25% प्रोन्नति द्वारा; (ii) 75% सीधी भर्ती द्वारा।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।
(11)
प्रोन्नति: वेतन मैट्रिक्स के स्तर-4 (25500-81100 रुपये) में वरिष्ठ तकनीशियन, जिन्होंने इस ग्रेड में पाँच वर्ष की नियमित सेवा की हो। **टिप्पण:** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा है, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, इसकी संरचना क्या है?	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे: - (1) निदेशक, फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान - अध्यक्ष; (2) अवर सचिव (यंत्रीकरण एवं प्रौद्योगिकी प्रभाग), कृषि एवं किसान कल्याण विभाग - सदस्य; (3) फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान के प्रशासनिक अधिकारी या कार्यालय अध्यक्ष - सदस्य; **समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:-** (1) निदेशक, फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान - अध्यक्ष; (2) अवर सचिव (यंत्रीकरण एवं प्रौद्योगिकी प्रभाग), कृषि एवं किसान कल्याण विभाग - सदस्य; (3) फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान के प्रशासनिक अधिकारी या कार्यालय अध्यक्ष - सदस्य;	लागू नहीं होता

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2. **नक्शानवीश श्रेणी II**	1* (2026) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय।	स्तर- 5 (रु. 29200-92300).	लागू नहीं होता

(6)
18 से 27 वर्ष की आयु के बीच। (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष की आयु तक शिथिल की जा सकती है।) **टिप्पण 1:** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिलों और चम्बा जिले के पांगी **उप**-खंड, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह या लद्दाख या लक्षद्वीप के संघ शासित प्रदेशों के अभ्यर्थियों के लिए विहित है)। **टिप्पण 2:** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख कर्मचारी चयन आयोग द्वारा निर्धारित होगी। (जहां भर्ती कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से नहीं की जाती है, वहां आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख होगी)।

(7)
अनिवार्य: 1. किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से नक्शानवीश (मैकेनिकल) में डिप्लोमा अथवा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से नक्शानवीश (मैकेनिकल) में प्रमाणपत्र; और 2. कौशल दक्षता परीक्षा में अर्हता प्राप्त करना (यह परीक्षा केवल अर्हक प्रकृति की होगी और इसमें प्राप्त अंकों के आधार पर मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। साक्षात्कार के स्थान पर यह परीक्षा आयोजित की जाएगी)। **वांछनीय:** ऑटोकैड या परफेक्ट रिसाइज प्रोफेशनल एडिशन या सॉलिडवर्क या कैटिया जैसे सॉफ्टवेयर में एक वर्ष का अनुभव या सरकार या कानूनी या स्वायत्त संगठन या पब्लिक सेक्टर के उपक्रम या विश्वविद्यालय या निजी संगठन में समकक्ष सॉफ्टवेयर में एक वर्ष का अनुभव।

टिप्पण 1: अर्हताएं अन्यथा सुअर्हिता अभ्यर्थियों की दशा में, कारणों के लिए जो **लेखबद्ध** किए जाएँ कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार, शिथिल की जा सकती हैं।

टिप्पण 2: अनुभव से संबंधित अर्हता (एं) कारणों के लिए जो **लेखबद्ध** किए जाएँ कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार, अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा मे तब शिथिल की जा सकती हैं जब, चयन के किसी क्रम पर, कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी की राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

(8)	(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता।	सीधे भर्ती के लिए दो वर्ष।	सीधी भर्ती द्वारा। **टिप्पण:** पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लंबी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां केंद्रीय या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या स्वायत्त या कानूनी संगठनों या पब्लिक सेक्टर के उपक्रम या अर्ध-सरकारी संगठनों के ऐसे अधिकारियों में से, जो नियमित आधार पर से सदृश पद धारण किए हुए हैं और जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षणिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों, की जा सकेंगी।	लागू नहीं होता।

(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- (1) निदेशक, फार्म मशीनरी प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थान - अध्यक्ष; (2) अवर सचिव (मशीनीकरण और प्रौद्योगिकी प्रभाग), कृषि एवं किसान कल्याण विभाग - सदस्य; (3) फार्म मशीनरी प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थान के प्रशासनिक अधिकारी या कार्यालय प्रमुख - सदस्य;	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3.कृषि सहायक।	4* (2026) ***कार्यभार** के आधार **पर** परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण **केंद्रीय सेवा**, **समूह** 'ग', **अराजपत्रित**, अननुसचिवीय।	स्तर-4 (25500-81100 रुपये)।	लागू नहीं होता।

(6)
18 से 27 वर्ष की आयु के बीच। (केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष की आयु तक शिथिल की जा सकती है। **टिप्पण 1: आयु-सीमा निर्धारित करने** के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से **आवेदन प्राप्त करने** के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो **असम**, **मेघालय**, **अरुणाचल प्रदेश**, **मिजोरम**, **मणिपुर**, **नागालैंड**, **त्रिपुरा**, **सिक्किम**, **लाहौल और स्पीति जि**ले तथा **हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के पांगी उप**-खंड, **अंडमान और निकोबार द्वीप समूह या लद्दाख या लक्षद्वीप के** अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।) **टिप्पण 2:** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख कर्मचारी चयन आयोग द्वारा निर्धारित होगी। (जहां भर्ती कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से नहीं की जाती है**,** वहां आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख होगी)।

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
अनिवार्य: 1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि में स्नातक डिग्री; और 2. कौशल दक्षता परीक्षा में अर्हता प्राप्त करना (यह परीक्षा केवल अर्हक प्रकृति की होगी और इसमें प्राप्त अंकों के आधार पर मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। साक्षात्कार के स्थान पर यह परीक्षा आयोजित की जाएगी)।	लागू नहीं होता।	दो वर्ष	सीधी भर्ती के माध्यम से। **टिप्पण:** पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लंबी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां केंद्रीय या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या स्वायत्त या कानूनी संगठनों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या अर्ध-सरकारी संगठनों के ऐसे अधिकारियों में से, जो नियमित आधार पर से सदृश पद धारण किए हुए हैं और जिनके पास स्तंभ	लागू नहीं होता।

टिप्पण: अर्हताएं अन्यथा सुअर्हिता अभ्यर्थियों की दशा में, कारणों के लिए जो **लेखबद्ध** किए जाएँ कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार, शिथिल की जा सकती हैं।			(7) के अधीन सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अर्हताएं और शैक्षणिक योग्यताएं और अनुभव रखते हों, की जा सकेंगी।	

(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- (1) निदेशक, फार्म मशीनरी प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थान - अध्यक्ष; (2) अवर सचिव (मशीनीकरण और प्रौद्योगिकी प्रभाग), कृषि और किसान कल्याण विभाग - सदस्य; (3) फार्म मशीनरी प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थान के प्रशासनिक अधिकारी या कार्यालय प्रमुख - सदस्य;	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4.वरिष्ठ तकनीशियन	52* (2026) ***कार्यभार** के आधार **पर** परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण **केंद्रीय सेवा**, **समूह** 'ग', अराज**पत्रि**त, अननुसचिवीय।	स्तर-4 (25500-81100 रुपये)।	लागू नहीं होता।

(6)
18 से 27 वर्ष की आयु के बीच। (केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष की आयु तक शिथिल की जा सकती है। **टिप्पण 1: आयु-सीमा निर्धारित करने** के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से **आवेदन प्राप्त करने** के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो **असम**, **मेघालय**, **अरुणाचल प्रदेश**, **मिजोरम**, **मणिपुर**, **नागालैंड**, **त्रिपुरा**, **सिक्किम**, **लाहौल और स्पीति जि**ले तथा **हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के पांगी उप**-खंड, **अंडमान और निकोबार द्वीप समूह या लद्दाख या लक्षद्वीप के** अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।) **टिप्पण 2:** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख कर्मचारी चयन आयोग द्वारा निर्धारित होगी। (जहां भर्ती कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से नहीं की जाती है, वहां आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख होगी)।

(7)
(क) (i) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से मैकेनिक कृषि मशीनरी, या मैकेनिक मोटर यान, या मैकेनिक ट्रैक्टर, या मैकेनिक डीजल इंजन, या इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में प्रमाण पत्र; (ii) ट्रैक्टर या भारी परिवहन यान, या भारी मिट्टी हटाने वाले उपस्कर के प्रचालन अथवा रखरखाव में पांच वर्ष का अनुभव; और (ख) हल्के और भारी यान तथा ट्रैक्टर के चालन की वैध चालन अनुज्ञप्ति रखता हो; और (ग) कौशल दक्षता परीक्षा में अर्हता प्राप्त करना (यह परीक्षा केवल अर्हक प्रकृति की होगी और इसमें प्राप्त अंकों के आधार पर मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। साक्षात्कार के स्थान पर यह परीक्षा आयोजित की जाएगी)। **टिप्पण 1:** वह विशेष ट्रेड जिसमें वरिष्ठ तकनीशियन की भर्ती की जानी है, भर्ती के समय निर्दिष्ट किया जाएगा। **टिप्पण 2:** अर्हताएं अन्यथा सुअर्हिता अभ्यर्थियों की दशा में, कारणों के लिए जो **लेखबद्ध** किए जाएँ कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार, शिथिल की जा सकती हैं। **टिप्पण 3:** अनुभव से संबंधित अर्हता (एं) कारणों के लिए जो **लेखबद्ध** किए जाएँ कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार, अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा मे तब शिथिल की जा सकती हैं जब, चयन के किसी क्रम पर, कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी की राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	सीधी भर्ती के लिए दो वर्ष	(i) 40% प्रोन्नति द्वारा; (ii) 60% सीधी भर्ती से।

(11)
प्रोन्नति: **ऐसे तकनीशियन** जिन्होंने वेतन-**मैट्रिक्स के स्तर**-2 (19900-63200 **रुपये**) **में उस श्रेणी में आठ वर्ष की नियमित सेवा की हो।** **टिप्पण:** ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा

की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होनें ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- (1) निदेशक, फार्म मशीनरी प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थान - अध्यक्ष; (2) अवर सचिव (मशीनीकरण और प्रौद्योगिकी प्रभाग), कृषि और किसान कल्याण विभाग - सदस्य; (3) फार्म मशीनरी प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थान के प्रशासनिक अधिकारी या कार्यालय प्रमुख - सदस्य; **समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:-** (1) निदेशक, फार्म मशीनरी प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थान - अध्यक्ष; (2) अवर सचिव (मशीनीकरण और प्रौद्योगिकी प्रभाग), कृषि और किसान कल्याण विभाग - सदस्य; (3) फार्म मशीनरी प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थान के प्रशासनिक अधिकारी या कार्यालय प्रमुख - सदस्य;	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5. **तकनीशियन**	21* (2026) ***कार्यभार** के आधार **पर** परिवर्तन किया जा सकता है। **टिप्पण: 21 पदों में** **तकनीशियन (डीजल या ट्रैक्टर या मोटर मैकेनिक)–17** **और तकनीशियन (इलेक्ट्रीशियन) –04**	साधारण **केंद्रीय सेवा**, **समूह** 'ग', अ**राजपत्रित**, अननुसचिवीय।	स्तर-2 (19900-63200 रुपये)।	लागू नहीं होता।

(6)

18 से 27 वर्ष की आयु के बीच। (केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष की आयु तक शिथिल की जा सकती है।

टिप्पण 1: आयु-सीमा निर्धारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से **आवेदन प्राप्त करने** के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो **असम**, **मेघालय**, **अरुणाचल प्रदेश**, **मिजोरम**, **मणिपुर**, **नागालैंड**, **त्रिपुरा**, **सिक्किम**, **लाहौल और स्पीति जि**ले तथा **हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के पांगी उप**-खंड, **अंडमान और निकोबार द्वीप समूह या लद्दाख या लक्षद्वीप के** अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

टिप्पण 2: आयु-सीमा निर्धारित करने की निर्णायक तारीख कर्मचारी चयन आयोग द्वारा निर्धारित होगी। (जहां भर्ती कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से नहीं की जाती, वहां आयु-सीमा निर्धारित करने के लिए निर्णायक तारीख आवेदनों की प्राप्ति की अंतिम तारीख होगी)।

(7)

क. (i) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से इलेक्ट्रिकल ट्रेड, या डीजल मैकेनिक ट्रेड, या मोटर मैकेनिक ट्रेड, या ट्रैक्टर मैकेनिक ट्रेड में प्रमाण पत्र के साथ उपरोक्त वर्णित ट्रेडों में से किसी में तीन वर्ष का अनुभव तथा यानों और ट्रैक्टरों के चालन और रखरखाव में प्रवीणता होनी चाहिए और हल्के और भारी कारी यानों व ट्रैक्टरों के लिए वैध चालन अनुज्ञप्ति रखता हो, या

या

(ii) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से इलेक्ट्रिकल, या इलेक्ट्रॉनिक, या उपकरण मैकेनिक में प्रमाण पत्र के साथ ऑटो विद्युत या उपकरणों या इलेक्ट्रॉनिक्स रखरखाव में तीन वर्ष का अनुभव;

और

ख. कौशल दक्षता परीक्षा में अर्हता प्राप्त करना (यह परीक्षा केवल अर्हक प्रकृति की होगी और इसमें प्राप्त अंकों के आधार पर मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। साक्षात्कार के स्थान पर यह परीक्षा आयोजित की जाएगी)।

टिप्पण 1: वह विशेष ट्रेड जिसमें तकनीशियन की भर्ती किया जाना अपेक्षित है, भर्ती के समय विनिर्दिष्ट किया जाएगा।

टिप्पण 2: अर्हताएं अन्यथा सुअर्हिता अभ्यर्थियों की दशा में, कारणों के लिए जो **लेखबद्ध** किए जाएँ कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार, शिथिल की जा सकती हैं।

टिप्पण 3: अनुभव से संबंधित अर्हता (एं) कारणों के लिए जो **लेखबद्ध** किए जाएँ कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार, अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा मे तब शिथिल की जा सकती हैं जब, चयन के किसी क्रम पर, कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी की राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

(8)	(9)	(10)
आयु: नहीं शैक्षिक योग्यता: हाँ	सीधी भर्ती के लिए दो वर्ष।	(i) 33.33% प्रोन्नति द्वारा; (ii) 66.67% सीधी भर्ती से।

(11)
प्रोन्नति: बहुकार्य कर्मचारीवृंद (तकनीकी) और बहुकार्य कर्मचारीवृंद (गैर-तकनीकी) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर-1 (18000-56900 रुपये) में **उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की हो**, **जो** लिए स्तंभ (7) में वर्णित सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हता और अनुभव रखते हों। **टिप्पण 1:** प्रोन्नति के लिए पात्रता सूची अधिकारियों द्वारा संबंधित स्तर या पद पर विहित अर्हक सेवा पूरी होने की तारीख के संदर्भ में तैयार की जाएगी। **टिप्पण 2:** ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होनें ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- (1) निदेशक, फार्म मशीनरी प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थान - अध्यक्ष; (2) अवर सचिव (मशीनीकरण और प्रौद्योगिकी प्रभाग), कृषि और किसान कल्याण विभाग - सदस्य; (3) प्रशासनिक अधिकारी या फार्म मशीनरी प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थान के प्रशासनिक अधिकारी या कार्यालय प्रमुख - सदस्य; **समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:-** (1) निदेशक, फार्म मशीनरी प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थान - अध्यक्ष; (2) अवर सचिव (मशीनीकरण और प्रौद्योगिकी प्रभाग), कृषि और किसान कल्याण विभाग - सदस्य; (3) प्रशासनिक अधिकारी या फार्म मशीनरी प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थान के प्रशासनिक अधिकारी या कार्यालय प्रमुख - सदस्य;	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6. **बहुकार्य कर्मचारीवृंद (तकनीकी)।**	20* (2026) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। ***आउटसोर्स द्वारा 04 पद भरे जाने हैं।**	साधारण **केंद्रीय सेवा**, **समूह 'ग'**, **अराजपत्रित**, अननुसचिवीय।	स्तर-1 (18000-56900 रुपये)।	लागू नहीं होता।

(6)
18 से 27 वर्ष की आयु के बीच। (केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष की आयु तक शिथिल की जा सकती है। **टिप्पण 1: आयु-सीमा** अवधारित **करने** के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से **आवेदन प्राप्त करने** के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो **असम**, **मेघालय**, **अरुणाचल प्रदेश**, **मिजोरम**, **मणिपुर**, **नागालैंड**, **त्रिपुरा**, **सिक्किम**, **लाहौल और स्पीति जि**ले तथा **हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के पांगी उप**-खंड, **अंडमान और निकोबार द्वीप समूह या लद्दाख या लक्षद्वीप के** अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।) **टिप्पण 2:** आयु-सीमा अवधारित करने की निर्णायक तारीख कर्मचारी चयन आयोग द्वारा निर्धारित होगी। (जहां भर्ती कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से नहीं की जाती, वहां आयु-सीमा निर्धारित करने के लिए निर्णायक तारीख आवेदनों की प्राप्ति की अंतिम तारीख होगी)।

(7)
(i) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से ट्रैक्टर मैकेनिक **या कृषि मशीनरी में मैकेनिक**, या डीजल मैकेनिक में प्रमाण पत्र; और (ii) हल्के और भारी यान तथा ट्रैक्टर के चालन की वैध चालन अनुज्ञप्ति रखता हो; और (iii) कौशल दक्षता परीक्षा में अर्हता प्राप्त करना (यह परीक्षा केवल अर्हक प्रकृति की होगी और इसमें प्राप्त अंकों के आधार पर मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। साक्षात्कार के स्थान पर यह परीक्षा आयोजित की जाएगी)। **टिप्पण:** सुअर्हता प्राप्त उम्मीदवारों के मामले में लिखित रूप में दिए जाने वाले कारणों के आधार पर कर्मचारी चयन आयोग अथवा सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर अर्हताओं में शिथिलता दी जा सकती है।

(8)	(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता।	सीधी भर्ती के लिए 02 वर्ष।	सीधी भर्ती द्वारा। **टिप्पण:** पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लंबी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां केंद्रीय या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्र	लागू नहीं होता।

		प्रशासन या स्वायत्त या कानूनी संगठनों या पब्लिक सेक्टर के उपक्रम या अर्ध-सरकारी संगठनों के ऐसे अधिकारियों में से, जो नियमित आधार पर से सदृश पद धारण किए हुए हैं और जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अर्हताएं और शैक्षणिक योग्यताएं और अनुभव रखते हों, की जा सकेंगी।	

(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- (1) निदेशक, फार्म मशीनरी प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थान - अध्यक्ष; (2) अवर सचिव (मशीनीकरण और प्रौद्योगिकी प्रभाग), कृषि और किसान कल्याण विभाग - सदस्य; (3) फार्म मशीनरी प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थान प्रशासनिक अधिकारी या के कार्यालय के प्रमुख - सदस्य;	लागू नहीं होता।

[फा. सं 13-2/2022-एमएंडटी (प्रशासन)]

एस. रुक्मणी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE

(Department of Agriculture and Farmers Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th January, 2026

G.S.R. 13(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare, Farm Machinery Training and Testing Institute, Technical, Group 'C' Posts Recruitment Rules, 2017, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the Group 'C' technical posts in the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Department of Agriculture and Farmers Welfare, in the Farm Machinery Training and Testing Institutes, namely:-

1. **Short title and commencement. -** (1) These rules may be called the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Department of Agriculture and Farmers Welfare, Farm Machinery Training and Testing Institute, Technical, Group 'C' Posts Recruitment Rules, 2026.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application. –** These rules shall apply to the posts specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Number of posts, classification and level in the pay matrix. –** The number of the said posts, their classification and the level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

4. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc**.– The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

5. **Disqualification. –** No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with the person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any other person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax. –** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Saving. –** Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, ex-Servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of posts.	Classification.	Level in pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2. Technical Assistant.	19* (2026) * Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level- 5 (Rs. 29200-92300).	Selection.

Age-limit for direct recruits.
(6)
Between 18 and 27 years of age. (Relaxable for Government servants upto forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time.) **Note 1:** The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti Districts and Pangi sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Union territory of Andaman and Nicobar Islands or Ladakh or Lakshadweep). **Note 2:** The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission. (Where recruitment is not through Staff Selection Commission, crucial date for determining the age-limit shall be the last date for receipt of applications).

Educational and other qualifications required for direct recruits.
(7)
2. (i) Diploma in Agricultural Engineering from a recognised Institute or University with five years' experience in the relevant field; or (ii) Bachelor's Degree in Agricultural Engineering from recognized institute or University; and

2. Qualifying in Skill Proficiency Test (which shall be of qualifying nature and assessment shall not be done on the basis of marks obtained in such tests, instead of holding interviews is to be conducted). **Note 1:** Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or Competent Authority, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified. **Note 2:** The qualification(s) regarding experience is relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or Competent Authority, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes, if any, at stage of selection, Staff Selection Commission or Competent Authority, is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotes.	Period of probation, if any.	Method of recruitment : whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(8)	(9)	(10)
No	Two years' for direct recruits.	(iii) 25% by promotion; (iv) 75 % by direct recruitment.

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made.
(11)
Promotion: Senior Technicians in level-4 (Rs. 25500-81100) in the pay matrix with five years' regular service in the grade. **Note:** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided, they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade, alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering Promotion) consisting of: - (1) Director, Farm Machinery Training and Testing Institute - Chairman;	Not applicable.

(2) Under Secretary (Mechanisation and Technology Division), Department of Agriculture and Farmers Welfare - Member; (3) Administrative Officer or Head of the Office of the Farm Machinery Training and Testing Institute - Member. **Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of: -** (1) Director, Farm Machinery Training and Testing Institute - Chairman; (2) Under Secretary (Mechanisation and Technology Division), Department of Agriculture and Farmers Welfare - Member; (3) Administrative Officer or Head of the Office of the Farm Machinery Training and Testing Institute - Member.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2. Draughtsman Grade II.	1* (2026) * Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level- 5 (Rs. 29200-92300).	Not applicable.

(6)
Between 18 and 27 years of age. (Relaxable for Government servants upto forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time.) **Note 1:** The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti Districts and Pangi sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Union territory of Andaman and Nicobar Islands or Ladakh or Lakshadweep). **Note 2:** The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission. (Where recruitment is not through Staff Selection Commission, crucial date for determining the age-limit shall be the last date for receipt of applications).

(7)
Essential: 3. Diploma in Draughtsmanship (Mechanical) from a recognised Institution or Certificate in Draughtsmanship (Mechanical) from an Industrial Training Institute; and 2. Qualifying in Skill Proficiency Test (which shall be of qualifying nature and assessment shall not be done on the basis of marks obtained in such tests, instead of holding interviews is to be conducted). **Desirable :** One year experience in software like Autocad or Perfect Resize Professional Edition or Solidwork or Catia or equivalent software in organization in Government or statutory or autonomous organization or public sector undertaking or University or private organization of repute.

Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or Competent Authority, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified.

Note 2: The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or Competent Authority, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes, if any, at stage of selection, Staff Selection Commission or Competent Authority, is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

(8)	(9)	(10)	(11)
Not applicable.	Two years' for direct recruits.	By direct recruitment. **Note:** Vacancies caused by the incumbents being away on transfer on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on transfer on deputation basis from officers of Central Government or State Governments or State Government or Union territory administrations or autonomous or statutory organisations or public sector undertakings or semi-government organisations holding analogous posts on regular basis and possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7).	Not applicable.

(12)	(13)
Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of: - (1) Director, Farm Machinery Training and Testing Institute - Chairman; (2) Under Secretary (Mechanisation and Technology Division), Department of Agriculture and Farmers Welfare - Member; (3) Administrative Officer or Head of the Office of the Farm Machinery Training and Testing Institute - Member.	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3. Agricultural Assistant.	4* (2026) * Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-4 (Rs. 25500-81100).	Not applicable.

(6)	(7)
Between 18 and 27 years of age. (Relaxable for Government servants upto forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time.) **Note 1:** The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur,	**Essential** : 3. Bachelor's Degree in Agriculture from a recognized University; and 2. Qualifying in Skill Proficiency Test (which shall be of qualifying nature and assessment shall not be done on the basis of marks obtained in such

Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti Districts and Pangi sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Union territory of Andaman and Nicobar Islands or Ladakh or Lakshadweep). **Note 2:** The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission. (Where recruitment is not through Staff Selection Commission, crucial date for determining the age-limit shall be the last date for receipt of applications).	tests, instead of holding interviews is to be conducted). **Note:** Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or Competent Authority, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified.

(8)	(9)	(10)	(11)
Not applicable.	Two years'	By direct recruitment. **Note:** Vacancies caused by the incumbents being away on transfer on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on transfer on deputation basis from officers of Central Government or State Governments or Union territory administrations or autonomous or statutory organisations or public sector undertakings or semi-government organisations holding analogous posts on regular basis and possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7).	Not applicable.

(12)	(13)
Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of: - (1) Director, Farm Machinery Training and Testing Institute - Chairman; (2) Under Secretary (Mechanisation and Technology Division), Department of Agriculture and Farmers Welfare - Member; (3) Administrative Officer or Head of the Office of the Farm Machinery Training and Testing Institute - Member.	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4. Senior Technician.	52* (2026) * Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-4 (Rs. 25500-81100).	Not applicable.

(6)
Between 18 and 27 years of age. (Relaxable for Government servants upto forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time.) **Note 1:** The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti Districts and Pangi sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Union territory of Andaman and Nicobar Islands or Ladakh or Lakshadweep). **Note 2:** The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission. (Where recruitment is not through Staff Selection Commission, crucial date for determining the age-limit shall be the last date for receipt of applications).

(7)
(A)(i) Industrial Training Institute Certificate in Mechanic Agricultural Machinery, or Mechanic Motor Vehicle, or Mechanic Tractor, or Mechanic Diesel Engine, or Electrician trade; (ii) five years' experience in operation and maintenance of tractor or heavy transport vehicle or heavy earthmoving equipments or electrical maintenance; and (B) Possessing valid driving licence of light and heavy duty vehicle and tractor; and (C) Qualifying in Skill Proficiency Test (which shall be of qualifying nature and assessment shall not be done on the basis of marks obtained in such tests, instead of holding interviews is to be conducted). **Note 1:** The particular trade in which a Senior Technician is required to be recruited shall be specified at the time of recruitment. **Note 2:** Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or Competent Authority, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified. **Note 3:** The qualification(s) regarding experience is relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or Competent Authority, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes, if any, at stage of selection, Staff Selection Commission or Competent Authority, is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Two years' for direct recruits.	(iii) 40% by promotion; (iv) 60% by direct recruitment.

(11)
Promotion: Technicians in level-2 (Rs. 19900-63200) in the pay matrix with eight years' regular service in the grade.

Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided, they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade, alongwith their juniors, who have already completed such qualifying or eligibility service.

(12)	(13)
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering Promotion) consisting of: - (1) Director, Farm Machinery Training and Testing Institute - Chairman; (2) Under Secretary (Mechanisation and Technology Division), Department of Agriculture and Farmers Welfare - Member; (3) Administrative Officer or Head of the Office of the Farm Machinery Training and Testing Institute - Member. **Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of: -** (1) Director, Farm Machinery Training and Testing Institute - Chairman; (2) Under Secretary (Mechanisation and Technology Division), Department of Agriculture and Farmers Welfare - Member; (3) Administrative Officer or Head of the Office of the Farm Machinery Training and Testing Institute - Member.	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5. Technician.	21* (2026) * Subject to variation dependent on workload. **Note** : the twenty-one posts include Technician (diesel or Tractor or Motor mechanic) – seventeen nos and Technician (Electrician) – four nos.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-2 (Rs. 19900-63200).	Not applicable.

(6)
Between 18 and 27 years of age. (Relaxable for Government servants upto forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time.) **Note 1:** The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti Districts and Pangi sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Union territory of Andaman and Nicobar Islands or Ladakh or Lakshadweep).

Note 2: The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission. (Where recruitment is not through Staff Selection Commission, crucial date for determining the age-limit shall be the last date for receipt of applications).

(7)
A. (i) Industrial Training Institute Certificate in Electrical trade, or Diesel Mechanic trade, or Motor Mechanic trade, or Tractor Mechanic trade with three years experience in any of the trades mentioned above and proficiency in driving and maintenance of vehicles and tractors and should possess a valid driving licence for light and heavy duty vehicles and tractors; or (ii) Industrial Training Institute Certificate in Electrical, or Electronic, or Instrument Mechanic with three years experience in auto electrical or instruments or electronics maintenance; and B. Qualifying in Skill Proficiency Test (which shall be of qualifying nature and assessment shall not be done on the basis of marks obtained in such tests, instead of holding interviews is to be conducted). **Note 1:** The particular trade in which a Technician is required to be recruited shall be specified at the time of recruitment. **Note 2:** Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or Competent Authority, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified. **Note 3:** The qualification(s) regarding experience is relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or Competent Authority, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes, if any, at stage of selection, Staff Selection Commission or Competent Authority, is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

(8)	(9)	(10)
Age: No Educational Qualification : Yes	Two years' for direct recruits.	(iii) 33.33% by promotion; (iv) 66.67% by direct recruitment.

(11)
Promotion: Multi-Tasking Staff (Technical) and Multi-Tasking Staff (Non-Technical) in level-1 (Rs. 18000-56900) in the pay matrix with three years' regular service in the grade possessing the educational qualification and experience as prescribed for direct recruits under column (7). **Note 1:** The eligibility list for promotion shall be prepared with reference to the date of completion by the officers of the prescribed qualifying service in their respective level or post. **Note 2:** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

(12)	(13)
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering Promotion) consisting of: - (1) Director, Farm Machinery Training and Testing Institute - Chairman; (2) Under Secretary (Mechanisation and Technology Division), Department of Agriculture and Farmers Welfare - Member; (3) Administrative Officer or Head of the Office of the Farm Machinery Training and Testing Institute - Member. **Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of: -** (1) Director, Farm Machinery Training and Testing Institute - Chairman; (2) Under Secretary (Mechanisation and Technology Division), Department of Agriculture and Farmers Welfare - Member; (3) Administrative Officer or Head of the Office of the Farm Machinery Training and Testing Institute - Member.	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6. Multi-Tasking Staff (Technical).	20* (2026) * Subject to variation dependent on workload. * 4 to be filled by outsource.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-1 (Rs. 18000-56900).	Not applicable.

(6)
Between 18 and 27 years of age. (Relaxable for Government servants upto forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time.) **Note 1:** The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti Districts and Pangi sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Union territory of Andaman and Nicobar Islands or Ladakh or Lakshadweep). **Note 2:** The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission. (Where recruitment is not through Staff Selection Commission, crucial date for determining the age-limit shall be the last date for receipt of applications).

(7)
(iv) Industrial Training Institute Certificate in Tractor Mechanic or mechanic in Agricultural machinery or Diesel Mechanic; and (ii) Possessing valid driving licence of tractor and HMV; and.

(iii) Qualifying in Skill Proficiency Test (which shall be of qualifying nature and assessment shall not be done on the basis of marks obtained in such tests, instead of holding interviews is to be conducted).

Note: Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or Competent Authority, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified.

(8)	(9)	(10)	(11)
Not applicable.	Two years' for direct recruits.	By direct recruitment. Note: Vacancies caused by the incumbents being away on transfer on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year, or more may be filled on transfer on deputation basis from officers of Central Government possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7).	Not applicable.

(12)	(13)
Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of: - (1) Director, Farm Machinery Training and Testing Institute - Chairman; (2) Under Secretary (Mechanisation and Technology Division), Department of Agriculture and Farmers Welfare - Member; (3) Administrative Officer or Head of the Office of the Farm Machinery Training and Testing Institute - Member.	Not applicable.

[F. No. 13-2/2022-M&T (Admn)]

S. RUKMANI, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. GORAKHA NATH YADAVA Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA Date: 2026.01.12 11:08:39 +05'30'